14/03/022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
आहूत। वकील वादी ने मूल वाद
पत्र में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
किया, गया जो पत्रावली का अवलोकन
करने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित
प्रतिवादीगणों के सहयोग आशय से
शनिवार हो चुका है। पत्रावली रद्दी
करने का निवेदन किया
गया। जो मूल वाद में स्वीकार किया
जाकर वाद का निस्तारण किया जा
चुका है। मूल वाद ही निर्णय होने
से पूर्व पत्र 212RTA का कोई औचित्य
नहीं है एवं पूर्व में जारी स्थगन आदेश
02/02/021 को निरस्त किया जाकर
पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

14/3/20

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़